



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012021-224690  
CG-DL-E-25012021-224690

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 25, 2021/ माघ 5, 1942

No. 319]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 25, 2021/MAGHA 5, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

का.आ. 350(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, ओडिशा राज्य में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री संतोष कुमार मिश्रा, तहसीलदार (सेवानिवृत्त), ओडिशा प्रशासनिक सेवा को सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. ओडिशा राज्य में मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड के लिए दिनांक 12.02.2019 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 06.02.2019 के का.आ. 802(अ) द्वारा श्री बिनोद कुमार पांडा, अपर सचिव (सेवानिवृत्त), ओडिशा सरकार तथा दिनांक 26.11.2020 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 23.11.2020 के का.आ. 4240(अ) द्वारा श्री संतोष कुमार मिश्रा, तहसीलदार (सेवानिवृत्त), ओडिशा प्रशासनिक सेवा, के पूर्व अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी (प्राधिकारियों) को विमुक्त किया जाता है।

3. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/36/2016-जीपी-II)

राज किशोर, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd January, 2021

**S.O. 350(E).**—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Santosh Kumar Mishra, Tehsildar (Retired), Odisha Administrative Service to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for all natural gas pipelines M/s. GAIL (India) Limited in the State of Odisha.

2. Earlier notified Competent Authority(s) for M/s. GAIL (India) Limited in the State of Odisha, Shri Binod Kumar Panda, Additional Secretary (Retired), Government of Odisha *vide* S.O. 802(E) dated 06.02.2019 published in the Extraordinary Gazette of India dated 12.02.2019 and Shri Santosh Kumar Mishra, Tehsildar (Retired), Odisha Administrative Service *vide* S.O. 4240(E) dated 23.11.2020 published in the Extraordinary Gazette of India dated 26.11.2020 stands de-notified.

3. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/36/2016-GP- II]

RAJ KISHORE, Under Secy.